

# छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

## विद्युत टैरिफ याचिका वर्ष 2025-26 आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 एवं उनके अन्तर्गत अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये टैरिफ याचिका माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसे याचिका क्रमांक 98/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस टैरिफ याचिका में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम टू-अप; वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण एवं विद्युत की फुटकर दरों के निर्धारण का प्रस्ताव सम्मिलित है, जिसका सारांश नीचे तालिकाओं में दर्शाया गया है:-

### क. वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम टू-अप का सार

अ.क्र.	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
01.	टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023 में अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	17,228.31
02.	ऑडिटेड अकाउंट के आधार पर वार्षिक राजस्व आवश्यकता	23,079.22
03.	ऑडिटेड अकाउंट के अनुसार विद्युत विक्रय से राजस्व	22,242.97
04.	स्टैण्डएलोन राजस्व (कमी)/आधिक्य (3-2)	(836.24)
05.	वित्तीय वर्ष 2021-22 में CSPGCL, CSPTCL एवं CSLDC के अंतिम टू-अप के प्रभाव के कारण राजस्व (कमी)/आधिक्य	(586.73)
06.	पुनरीक्षण याचिका एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में CSPDCL के अंतिम टू-अप के प्रभाव के कारण राजस्व (कमी)/आधिक्य	(4,321.46)
07.	कैरिंग कॉस्ट सहित वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में आरपीओ के लिए अतिरिक्त प्रावधान को घटाए	179.50
08.	वर्ष 2023-24 हेतु कुल Closing राजस्व (कमी)/आधिक्य (4+5+6+7)	(5,564.93)
09.	कैरिंग कॉस्ट	(37.89)
10.	वर्ष 2025-26 के लिये Forward की गई कुल Closing राजस्व (कमी)/आधिक्य (8+9)	(5,603.23)

### ख. वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (स्टैण्डएलोन) एवं सकल कमी का सार

अ.क्र.	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
01.	वर्ष 2025-26 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमान	23,082.26
02.	प्रचलित दरों एवं प्रभारों के आधार पर अनुमानित राजस्व	24,653.71
03.	वर्ष 2025-26 के लिये स्टैण्ड एलोन राजस्व (कमी)/आधिक्य (2-1)	1,571.45
04.	वर्ष 2023-24 का Forward की गई कैरिंग कास्ट सहित कुल Closing राजस्व (कमी)/आधिक्य	(5,603.23)
05.	वर्ष के लिए होल्डिंग/कैरिंग कास्ट	(527.52)
06.	वर्ष 2025-26 के लिये कुल आधिक्य/(कमी) (4+5)	(6,130.75)

07.	वर्ष 2025-26 के लिये कुल संचयी राजस्व आधिक्य / (कमी) (कैरिंग कास्ट सहित) (6+3)	(4,559.30)
-----	---	------------

**ग. वर्ष 2025-26 के लिये प्रस्ताव**

- (1) टीओडी टैरिफ के लिए पात्र (एचव्ही-2, एचव्ही-3 एवं एचव्ही-4 श्रेणी) उपभोक्ताओं को "सोलर ऑवर्स" के दौरान उनकी अनुबंध भार से 20 प्रतिशत अतिरिक्त भार का उपभोग करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
- (2) निम्नदाब श्रेणी में 112 किलोवाट से अधिक एवं अधिकतम 150 किलोवाट तक के नए विद्युत संयोजनो के आवेदको हेतु उचित टैरिफ का प्रावधान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विद्युत कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका (अंग्रेजी) एवं सार संक्षेपिका (हिन्दी) की प्रतियां (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं (ii) याचिकाकर्ता, कार्यपालक निदेशक (निका एवं ऊप्र) कार्यालय, डंगनिया, रायपुर सहित (iii) रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं रायगढ़ के क्षेत्रीय एवं वृत्त कार्यालयों में उपलब्ध हैं। याचिका अथवा सार संक्षेपिका को उक्त कार्यालयों से रु. 100/- अंग्रेजी प्रति हेतु तथा रु. 50/- हिन्दी प्रति के भुगतान पश्चात्, किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। याचिका/सारांश की प्रति डाक द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिस हेतु रु. 50/- का अतिरिक्त भुगतान किया जाना होगा।

यह आम सूचना, याचिका की प्रति एवं अनुगामी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रति (i) आयोग की वेबसाइट [www.cserc.gov.in](http://www.cserc.gov.in) एवं (ii) CSPDCL की वेबसाइट [www.cspdcl.co.in](http://www.cspdcl.co.in) पर भी उपलब्ध है।

याचिकाकर्ता की उपरोक्त याचिका पर इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने आपत्ति/सुझाव निम्नलिखित पते पर इस आम सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों की समयसीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर, पिन-492001 (E-mail: [cserc.sec.cg@nic.in](mailto:cserc.sec.cg@nic.in)) एवं/या कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.), छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., डंगनिया, रायपुर, पिन-492013 (E-mail: [cecomcseb@rediffmail.com](mailto:cecomcseb@rediffmail.com)) पते पर प्रेषित कर सकते हैं। माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपरोक्त याचिका पर जनसुनवाई हेतु स्थान, दिनांक एवं समय पृथक से समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा।

**कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.)**  
**छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर**

**Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited**  
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

**ELECTRICITY TARIFF PETITION FOR FY 2025-26**  
**NOTICE FOR INVITING OBJECTIONS AND SUGGESTIONS**

In compliance to the provisions contained in Section 62 & 64 of Electricity Act, 2003 read together with Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) (Multi Year Tariff) Regulations, 2021, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) has filed a petition for true-up for FY 2023-24, determination of Aggregate Revenue Requirement (ARR) and projection of revenue at existing tariff and charges with revenue gap and determination of retail supply tariff for FY 2025-26 before the Hon'ble CSERC. This petition is registered as Petition No. 98/2024. The summary of the petition is given below: -

**A. Summary of final true-up of FY 2023-24**

S.No.	Particulars	Amount (Rs. Cr.)
01.	ARR approved in Tariff Order dated 28.03.2023	17228.31
02.	ARR based on audited accounts	23079.22
03.	Revenue from sale of power as per audited accounts	22242.97
04.	Standalone Revenue (Gap)/Surplus (3-2)	(836.24)
05.	(Gap)/Surplus carried forward from final true-up of FY 2021-22 in respect of CSPGCL, CSPTCL & CSLDC	(586.73)
06.	(Gap)/Surplus carried forward from final true-up of FY 2021-22 for CSPDCL, including impact of review petition	(4321.46)
07.	Reduce excess provisioning for RPO in FY 2016-17 and FY 2017-18 with carrying cost	179.50
08.	Net closing Revenue (Gap)/surplus of FY 2023-24 (4+5+6+7)	(5564.93)
09.	Carrying Cost	(37.89)
10.	Total closing Revenue (Gap)/surplus forwarded for FY 2025-26 (8+9)	(5603.23)

**B. Summary of ARR for FY 2025-26 (Standalone) and net deficit for FY 2025-26**

S.No.	Particular	Amount (Rs. Cr.)
01.	ARR projection for FY 2025-26	23082.26
02.	Projected Revenue on the basis of existing tariff	24653.71
03.	Standalone Revenue (Deficit)/Surplus for FY 2025-26 (2-1)	1571.45
04.	Total Closing (Deficit)/Surplus of FY 2023-24 carried forward with carrying cost.	(5603.23)
05.	Holding/ carrying cost for the year	(527.52)
06.	Net (Deficit)/Surplus for FY 2025-26 (4+5)	(6130.75)
07.	Net cumulative revenue Surplus/(Deficit) for FY 2025-26 (6+3) (with carrying cost)	(4559.30)

**C. Proposals for FY 2025-26:**

- (i) CSPDCL has requested to allow the consumers eligible for ToD Tariff (HV-2, HV-3, HV-4 category) to draw additional demand of 20% over their contract demand during “Solar Hours”.
- (ii) CSPDCL has also requested to provide reasonable tariff for new connections on low voltage supply (LV) to applicants requesting power above 112 kW upto maximum of 150 kW.

Copies of the tariff petition in English and its summary in Hindi, shall be made available at (i) Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, (ii) Executive Director (RA&PM) CSPDCL, Dangania Raipur and (iii) CSPDCL’s Regional Offices at Raipur City, Raipur Rural, Bilaspur, Durg, Jagdalpur, Rajnandgaon, Ambikapur & Raigarh Regions and the Circle offices of these Regions, during office hours till 21 days from the date of publication of this notice.

Interested persons can purchase tariff petition on any working day after making payment of Rs. 100/- for petition and Rs. 50/- for its summary in Hindi. Copy of the petition and its summary in Hindi can also be obtained by post on additional payment of Rs. 50/- towards postage fee.

The notice and petition along with subsequent submissions by CSPDCL will also be available on websites: [www.cserc.gov.in](http://www.cserc.gov.in) and [www.cspdcl.co.in](http://www.cspdcl.co.in).

Persons / institutions interested to file objections / suggestions relating to this petition may send the same within 21 days from the publication of this notice to Secretary, CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur Pin – 492001, [cserc.sec.cg@nic.in](mailto:cserc.sec.cg@nic.in) and/or Executive Director (RA&PM), 4th Floor, Sewa Bhavan, CSPDCL, Raipur, Pin – 492013, [cecomcseb@rediffmail.com](mailto:cecomcseb@rediffmail.com). The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspapers.

**EXECUTIVE DIRECTOR (R.A. & P.M.)  
C.S.P.D.C.L. RAIPUR**